न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 70 / 2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00367

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. कालूदान उर्फ वीरकरण पुत्र दानकरण जाति चारण, निवासी–गढ़वाड़ा, तहसील रोहट जिला पाली		1. कमलादेवी पत्नी नारायणदान जाति चारण, निवासी गढ़वाड़ा तहसील रोहट जिला पाली 2. ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित

अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 19-02-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा द्वारा प्रस्ताव संख्या 08 / 05.04.2008 तथा मिसल संख्या 39 / 2008–09 में पारित तथा उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2059 दिनाँक 24.04.2008 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी व उसके पुत्र होपदान का पुश्तैनी कब्जासुदा रहवासीय मकान ग्राम गढ़वाड़ा वलीयों का बास में स्थित है जिसका नाप पश्चिम भुजा 111 फीट पूर्वी भुजा 91 फीट उतरी भुजा 23 फीट एवं दक्षिणी भुजा 48 फीट क्षेत्रफल 3231 वर्गफीट है। प्रार्थी व उसके पुत्र उसी में निवास करते है अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादग्रस्त होने के आधार पर प्रार्थी के उपरोक्त नाप एवं पड़ौसियों के बीच पुश्तैनी रहवासीय परिसर मय बाड़ा को रास्ता भुमी हेाना कहते हुए एक स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का दावा पेश किया हुआ है जिसकी आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उक्त बाडे से बेदखल करना चाहते है मिसल पता करने पर प्रार्थी को पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने ससुर भीकदान के पट्टा पर पट्टा अवैध रूप से एकमात्र अपने नाम का जारी करवा दिया है जिसके आधार पर ही प्रार्थी व उसके वारिसान को पैतृक पुश्तैनी रहवासीय परिसर मय बाड़ा से बेदखल करने पर आमादा है परिसर के पश्चिम में कोई रास्ता ही नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 कमलादेवी ने ग्राम पंचायत से मिलावट कर नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा संख्या 2059 तथा मिसल संख्या 39 / 2008–09 के संकल्प संख्या 8 दिनांक 05.04.2008 के तहत अपने को गलत रूप से बीपीएल होने का कथन करते हुए निःशुल्क पट्टा जारी करवाया जो संकल्प संख्या 8 एवं पट्टा संख्या 2059 आगे वर्णित कारणों व आधारों पर निरस्त करने योग्य है। ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा ने यह लिख कर दिया है इस पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम ही नहीं की गई है व पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत अपने में निहित नूजूल आबादी भूमी का ही विक्रय कर सकती है। जैर निगरानी आराजी ग्राम पंचायत में निहित नहीं होकर भीकदान पुत्र लालदान के नाम दिनांक 31.05.1961 को मिसल संख्या 18 / 1961–62 में जारी पट्टा की भूमी है जो स्वीकृत तथ्य है। जिसका उल्लेख अप्रार्थी संख्या [illegible] दावा बअनवान कमलादेवी बनाम कालूदान वगैरा में वादपत्र के पद [illegible] से स्पष्ट है। वाद की प्रति पत्रावली के संलग्न है। प्रश्नगत पट्टा [illegible] के बीच की भूमी नियम 140 के तहत राज्य सर[illegible] के अनुसार तहत [illegible]चायत गढवाड़ा की नूजूल आबादी भूमी नहीं थी। इस[illegible] जैर निगरानी पट्टा [illegible]ायत की

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:36 IST
Reason: SelfAttested

नूजूल भूमी में जारी नहीं किया जाने से निरस्त योग्य है अप्रार्थी कमलादेवी ने जैर निगरानी भूमी हासिल करने हेतु विक्रय विलेख जारी करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की पत्रावली कायम नहीं की फिर भी पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है। नियम 145 के तहत निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया। स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। जैर निगरानी आराजी का नक्शा तैयार नहीं किया गया है तथा तीन पंचों की कमेटी गठित नही की गई है न उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। इस प्रकार नियम 140 से 146 की विधिवत पालना नहीं किए जाने से नियमविरूद्ध जारी पट्टा निरस्त योग्य है। आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया है, न ही नियम 147 के तहत भूमी को विक्रय किया जाना था। बातचीत से विक्रय किया जाना है अथवा नियमितीकरण किया जाना है यह अन्तिम विनिश्चय ही नही किया गया है। नियम 148 के तहत स्थल निरीक्षण बाद आपति इश्तिहार जारी नहीं किया गया है अप्रार्थी संख्या 1 ने पट्टे पर पट्टा बनाकर विवादग्रस्त पट्टा की आड़ में प्रार्थी एवं उनके अन्य पक्षों के कब्जासुद रहवासीय पुश्तैनी परिसर मय बाड़ा को गलत रूप से रास्ता भूमी होना कथन करते हुए पट्टा हासिल किया है इस वजह से निगरानी स्वीकार फरमावे तथा जैर निगरानी संकल्प संख्या 8 दिनांक 05.04.2008 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2059 दिनांक 24.04.2008 को निरस्त फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का जैर प्रार्थना पत्र भूमी व मकान में कोई हक हकूक नहीं है। न ही उसका हित निहित है प्रार्थी की लोकल स्टेंडाई नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी आराजी के हक हकूक विवादित नहीं है मात्र दुर्भावना व बदले की कार्यवाही कर यह निगरानी पेश की गई है जो निरस्त योग्य है प्रार्थी द्वारा जिस पट्टे व पट्टा आराजी को चुनौती दी गई है वह अप्रार्थीया के ससुर की पैतृक भूमी है तथा 60 वर्षो से इसके पश्चिम में रास्ता है परन्तु प्रार्थी के पुत्र के नाम का पट्टा बनवा दिया है जो मिसल संख्या 34 के जरिये पट्टा संख्या 1784 / 4 बताया है वह रास्ते की भूमी का है जिसका नाप 91 फीट पूर्व पश्चिम बताया है इस नाम की भूमी बाड़े के रूप में अस्तित्व में ही नहीं है रास्ते की भूमी को मिलाकर पट्टा बनाया है। जिसकी निगरानी पेश की गई। इससे नाराज होकर यह निगरानी पेश की है। प्रार्थी द्वारा स्वयं का मकान बताया है जबकि सिविल दावे में अपने हक अधिकार नही होने का कथन किया है अप्रार्थी 1 द्वारा जो दावा किया है वह पैतृक भूमी है जो भीखदान की है। उनके पुत्रों के आपसी बंटवारे के द्वारा पूर्व का हिस्सा गोविन्ददान व अमरदान तथा पश्चिम हिस्सा राणीदान व कालुदान को दिया गया है। जिसका रास्ता पश्चिम की तरफ है रास्ता प्रार्थीया का भी पश्चिम दिशा का है। उक्त रास्ते को प्रार्थी व उसका पुत्र स्वयं का बता रहे है व फर्जी पट्टा भी बना लिया है जिसमें अप्रार्थीया का आवागमन बाधित रहा है इसी वजह से निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है भीकदान अप्रार्थीया का ससुर है अप्रार्थीया विधवा है रहवास के मकान का अलग पट्टा नहीं होने से तथा बीपीएल होने से सरकारी सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रार्थीया के ससुर की पट्टा भुमी में से प्रार्थिया के पति के हिस्से में आई उस भूमी का विधीअनुसार आवेदन कर तथा प्रक्रिया का पालन कर पट्टा बनवाया जो पट्टे का नवीनीकरण मात्र है नया पट्टा जारी नहीं कराया है। समस्त कार्यवाही मिसल संख्या 38 / 2008–2009 कायम कर प्रस्ताव संख्या 8 पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। जो सही है जिसे खारिज किया जाना वि[illegible]हीं है। प्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति होने से ग्राम पंचायत से मिसल व अन्य रेकर्ड [illegible] करवा दिया है। पट्टा जारी करते वक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया शुल्क [illegible] कराया गया था। नक्शा तैयार कर मौका निरीक्षण तमाम प्रक्रिया अपनाकर पंच[illegible] एक्ट के अनुसर पट्टा जारी किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:36 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलक्टर, पाली

क्रमश......................3

उपरोक्त तमाम तथ्यों के अनुसार पट्टा प्रस्ताव एवं पट्टा यथावत रखा जाने के आदेश प्रदान करावे व निगरानी खारिज फरमाई जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पट्टा बुक के अनुसार अप्रार्थीय कमला के हक में पट्टा संख्या 2059 जारी सुदा है तथा उसपर प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 05.04.2008 के अनुसरण में हस्ताक्षरित किया गया का अंकन है लेकिन ग्राम पंचायत के पत्र क्रमांक/ग्रा.पं. गढ़वाड़ा/SPL–2 दिनांक 31.02.2019 के अनुसार मिसल तथा कार्यवाही रजिस्टर पंचायत में नहीं होने का उल्लेख है। जिनके अभाव में पट्टे की शुद्धता व नियमितता एवं सही होने बाबत विवेचन किया जाना संभव नहीं है लेकिन सिविलवाद संख्या 04/2014 में यह वर्णित है कि पुराना पट्टा व वर्तमान पट्टा एक ही आराजी का जारी किया हुआ है पूर्व में अप्रार्थिया के ससुर भीकदान के नाम मिसल संख्या 18/1961–62 में दिनांक 31.05.1961 को पट्टा जारी किया गया था। बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि इसी भूमी पर पट्टा जारी किया गया है। जिससे यह सिद्ध है कि ग्राम पंचायत द्वारा नुजूल आबादी भूमी पर पट्टा जारी नहीं किया गया है। जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थिया का हक है या नहीं रास्ता अवरूद्ध किया गया अथवा नहीं अथवा हक अधिकार किस पक्ष का है यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसके लिए पक्षकारान सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर निगरानी स्वीकार योग्य है क्योंकि उक्त पट्टा नुजूल आबादी भूमी पर जारी नहीं होने से अवैध होना प्रमाणित होता है। अतः जैर निगरानी पट्टा संख्या 2059 दिनांक 24.04.2008 जो मिसल संख्या 39/2008–2009 तथा प्रस्ताव संख्या 05.04.2008 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19-02-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:36 IST
Reason: SelfAttested